न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 110/2015/(2015/00056) जिला–नागौर

कूनाराम पुत्र लालाराम जाति माली निवासी इनाणा की ढाणी, तहसील व जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

जीवराज पुत्र गुमानाराम जाति माली निवासी बस्सी मौहल्ला, नागौर तहसील व जिला नगौर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर
दिनांक 07–04–2014 राजस्व वाद संख्या 124/2009
बउनवान जीवराज बनाम कूनाराम

––––

उपस्थित– 1. श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्रीमती सविता चौहान, अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 07–06–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यथी श्री कूनाराम पुत्र लालाराम द्वारा एक आवेदन पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 128 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के समक्ष ग्राम इनाणा के खेत खसरा नम्बर 229 रकबा 19 बिस्वा में पत्थरगढी /सीमाज्ञान करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे उन्होंने स्वीकार कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–04–2014 के द्वारा ग्राम इनाणा के खसरा नम्बर 229 रकबा 19 बिस्वा का दक्षिणी भाग साढ़े नौ बिस्वा की मौके पर माप चौप कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, नागौर को मौका

कमिश्नर नियुक्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 7–4–2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर में प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अपीलार्थी को नोटिस मिलने पर अपीलार्थी द्वारा अपना अभिभाषक नियुक्त किया तत्पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को कहा कि तुम्हारे चालू रास्ते को बन्द नहीं करूंगा तथा उक्त प्रकरण को मैं स्वयं वापस नोटप्रेस कर लूंगा। जिस पर अपीलार्थी आश्वस्त हो गया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को वह स्वयं नोटप्रेस कर लेगा तथा न ही रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन हाल ही दिनांक 25–8–2015 को जब प्रत्यर्थी कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर आया तथा मौके पर स्थायी रूप से अपीलार्थी का रास्ता बन्द करने का प्रयास करने लगे एवं प्रार्थी ने रोकने का प्रयास किया तो प्रत्यर्थी द्वारा बताया गया कि इस बाबत दिनांक 7–4–2014 को उपखण्ड अधिकारी के यहां से आदेश पारित हुआ है इस कारण मौके पर वे कार्यवाही कर रहे है तत्पश्चात अपीलार्थी ने नागौर जाकर जानकारी की तथा उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त कर अविलम्ब अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी श्री जीवराज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी ने सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर में दिनांक 11–7–2007 को पक्षकारों के मध्य हुई लिखापढ़ी जिससे दोनों पक्ष पाबन्द थे उसे छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय से आदेश दिनांक 7–4–2014 पारित करवा लिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी ने खसरा नम्बर 226 जो राजकीय रास्ते की भूमि है उस पर अवैधानिक अतिक्रमण कर बन्द कर दिया तथा अपीलार्थी का आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 229 में से ही रास्ता स्वयं ने जो उपलब्ध करवाया वह आदेश दिनांक 7–4–2014 की आड में अब प्रत्यर्थी बन्द करने पर उतारू है जबकि प्रत्यर्थी को न तो राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का अधिकार है न ही वर्तमान में अपीलार्थी के चालू रास्ते को बन्द करने का अधिकार है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने स्वयं द्वारा किये गये दीवानी वाद संख्या 133/96 के तथ्य छिपाते हुए तथा उसमे पारित निर्णय के तथ्य को छिपाते हुए कार्यवाही की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया है तथा स्वयं प्रत्यर्थी ने सारभूत तथ्यों को छिपाया तथा अपीलार्थी को भी मुगालते में रखा। प्रत्यर्थी विचारण न्यायालय में लम्बित प्रकरण को जैसा कि उसके द्वारा आश्वस्त किया था कि नोटप्रेस कर देगा परन्तु उसके द्वारा साजिश के तौर पर समस्त कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–2014 की पालना में प्रत्यर्थी अपीलार्थी का रास्ता बन्द करने पर आमादा है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–2014 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए कथन किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड

अधिकारी) नागौर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 92/97 जीवराज ने दावा किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगणों के मध्य हुए राजीनामें के आधार पर उक्त दावा दिनांक 27–11–2007 को डिक्री किया गया जिसमें ग्राम ईनाणा के खसरा नम्बर 225 के उत्तरी माठ पर करीब 5 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 227 की उत्तरी हिस्सा की भूमि रकबा 5 बिस्वा वादी के कब्जे की घोषित की जाती है तथा ढाणी खसरा नम्बर 229 का उत्तरी भाग जिसका क्षैत्रफल साढ़े नो बिस्वा जिसका माप उत्तर से दक्षिणी–पूर्वी भुजा 8 गट्टा व पश्चिम भुजा 6 गट्टा तथा पूर्व से पश्चिम, उत्तरी भुजा 26 गट्टा तथा दक्षिणी भुजा 28 गट्टा कुल क्षैत्रफल 190 वर्ग गट्टा पर प्रतिवादीगण कूनाराम के तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदारी में तथा शेष खसरा नम्बर 229 का दक्षिणी भाग साढ़े नो बिस्वा वादी के तन्जा बंट कब्जे काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता है। उक्त राजीनामें एवं डिक्री के आधार पर जमाबंदी में खातेदारी दर्ज हो गई। उक्त डिक्री एवं आदेश के आधार पर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का निवेदन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 18–11–2014 में कूनाराम के हस्ताक्षर है खसरा नम्बर 229 का कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी खसरा नम्बर 226 में रास्ते को बाधित करना चाहते है। सीमाज्ञान पूरी जमीन का होना चाहिए। खसरा नम्बर 229 का पूरे रकबे का सीमाज्ञान किया जाये।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी ने धारा 128 राजस्थान टिन्नेन्सी एक्ट के अन्तर्गत पत्थरगढ़ी कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के न्यायालय में दर्ज राजस्व वाद संख्या 92/1997 बउनवान जीवराज बनाम ललाराम फौत के कायम मुकाम सुनवाई व निर्णय दिनांक 30–10–2007 के अनुसार खसरा नम्बर 229 रकबा 19 बिस्वा का दक्षिणी भाग साढ़े नो बिस्वा का ही मौके पर मापचौप कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपने आदेश दिनांक 07–04–2014 द्वारा तहसीलदार, नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान कराने की स्वतंत्रता है जो कि आस–पड़ौस की भूमि के खातेदारान को मौके पर सुनवाई का पूर्ण अवसर राजस्व अधिकारी द्वारा दिया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल खसरा नम्बर 229 रकबा 19 बिस्वा का दक्षिणी भाग के साढ़े नौ बिस्वा की ही पत्थरगढ़ी करने के अदेश दिये है जबकि विवादित

आराजियात के पास अन्य खसरा नम्बरान 225, 226, 228 व 229 भी चिपते हुए है। अधिनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौके पर सुनवाई कर मुस्तकिल मुटाम से पत्थरगढ़ी/सीमांकन का आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–04–2014 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–04–2014 अपील संख्या 124/2009 बउनवान जीवराज पुत्र कूनाराम त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, नागौर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों को विधिवत सुनकर दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार उनकी मौजूदगी में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की टीम गठित कर मुस्तकिल मुटाम से विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 229 का पूरे रकबे का व इस खसरा नम्बरान के चिपते हुए अन्य पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में आराजियात का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर